

प्रपत्र 4

(देखे विनियम 6)

राज्य सरकार की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र
संख्या-2246/96-आयुष-1-2020-125/2017

उत्तर प्रदेश शासन

आयुष अनुभाग-1

भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग/आयुष

दिनांक 30 जुलाई, 2020

सेवा मे.

मुख्य द्रस्टी,
श्रीमती सूरजमुखी शिक्षा द्रस्ट,
निकट रेलवे स्टेशन, शान्तिनगर,
एटा, उत्तर प्रदेश।

विषय: सी0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, ग्राम सिराव (निकट पी0ए0सी0 कम्पाउण्ड), मारहरा रोड, जिला-एटा, उत्तर प्रदेश को बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु 100 सीट पर नये प्रारूप पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

सन्दर्भ: निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन) को संबोधित मुख्य द्रस्टी का पत्र दिनांक 09.07.2020 महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि सी0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, ग्राम सिराव (निकट पी0ए0सी0 कम्पाउण्ड), मारहरा रोड, जिला-एटा, उत्तर प्रदेश को शासन के पत्र संख्या-1150/96-आयुष-1-2017-125/2017, दिनांक 28.04.2017 द्वारा बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु 60 सीट पर अनापत्ति प्रदान किया गया था।

निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन) द्वारा प्रश्नगत संस्था हेतु आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत नये प्रारूप पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2— संस्था को आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत नये प्रारूप के अनुसार निम्नवत् "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा रहा है—

1	राज्य में विद्यमान चिकित्सा और आयुर्वेद संस्थानों की संख्या	08 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज तथा निजी क्षेत्र में 59 आयुर्वेदिक कालेज
2	उपलब्ध सीटों की संख्या अथवा प्रतिवर्ष उत्पन्न चिकित्सा और आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की संख्या	400 राजकीय एवं 4880 निजी क्षेत्र (स्नातक स्तर)
3	राज्य परिषद/भारतीय चिकित्सा पद्धति बोर्ड में पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की संख्या	39,260
4	राज्य सरकार में सेवारत आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की संख्या	3896
5	राज्य विशेष रूप से ग्रामीण/कठिन क्षेत्रों में आयुर्वेद चिकित्सकों के रिक्त सरकारी पदों की संख्या	संविदा लगभग 1000 चिकित्साधिकारी(आयुर्वेद) 250 चिकित्साधिकारी(सामु0स्वारो) 962
6	राज्य रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सकों की संख्या	सामान्यतः राज्य के रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक चिकित्सक रोजगार कार्यालय में पंजीकरण नहीं करते हैं।
7	राज्य में आयुर्वेद चिकित्सकों एवं जनसंख्या का अनुपात	1 : 5858
8	चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना/प्रवेश क्षमता में पृष्ठि/पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर राज्य में योग्यता प्राप्त	आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना/ स्नातक (बी0ए0एम0एस0) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का


	चिकित्सकों की जन शक्ति की कमी की समस्या किस प्रकार से हल होगी तथा राज्य में चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता में किस प्रकार से सुधार आएगा।	उद्देश्य योग्य चिकित्सक बनाना है तथा प्रशिक्षणोपरान्त व्यापियों (रोगों) को दूर कर मानव ज्ञान शक्ति को सुदृढ़ करना है।
9	छात्र, जो राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, पर राज्य सरकार द्वारा राज्य में प्रवेश पाने की प्रतिबद्धता अधिरोपित, यदि कोई है, का उत्तेज करें।	राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में स्नातक स्तर पर प्रवेश शासन के निर्देशानुसार होता है।
10	प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय खोलने/प्रवेश क्षमता बढ़ाने/नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए पूर्ण औचित्य।	योग्य चिकित्सक/चिकित्सा शिक्षक तैयार करना।
11	प्राय आयुर्वेद चिकित्सक जनसंख्या अनुपात	निर्धारित नहीं।

श्रीमती सूरजमुखी शिक्षा ट्रस्ट, निकट रेलवे स्टेशन, शान्तिनगर, एटा, उत्तर प्रदेश द्वारा सी०ए०स० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, ग्राम सिरांव (निकट पी०ए०स० कम्पाउण्ड), मारहरा रोड, जिला-एटा हेतु आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत नये प्रारूप पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के लिए आवेदन किया है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् उत्तर प्रदेश सरकार ने आवेदक मुख्य ट्रस्टी, श्रीमती सूरजमुखी शिक्षा ट्रस्ट, निकट रेलवे स्टेशन, शान्तिनगर, एटा, उ०प्र० को 100 सीटों के साथ आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने के लिए बी०ए०ए०स० पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है, जिसकी वैधता निर्गमन तिथि से 03 वर्ष तक होगी।

यह प्रमाणित किया जाता है कि

- (क) आवेदक के पास 100 शैक्ष्याओं वाला अस्पताल है।
 (ख) आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना 100 सीटों पर बी०ए०ए०स० पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना जनहित में वांछनीय है।
 (ग) मुख्य ट्रस्टी, श्रीमती सूरजमुखी शिक्षा ट्रस्ट, निकट रेलवे स्टेशन, शान्तिनगर, एटा, उ०प्र० में आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना/प्रवेश क्षमता 100 सीटों पर बी०ए०ए०स० पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना उचित है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित/विद्यमान महाविद्यालय में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के मानदण्डों के अनुसार पर्याप्त नैदानिक सामग्री है। आगे प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रार्थी आयुर्वेद महाविद्यालय के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के मानदण्डों के अनुसार अवसंरचना उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है और केन्द्र सरकार द्वारा आगे प्रवेश रोक दिया जाता है तो राज्य सरकार केन्द्र सरकार की अनुमति से महाविद्यालय में पहले से प्रविष्ट छात्रों की पूरी जिम्मेदारी लेगी।

भवदीय,

 (श्री शंकर कुमार)
 संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-सचिव, सी०सी०आई०ए०, 61-65, भारतीय चिकित्सा पद्धति भवन, डी०-ब्लाक के सामने जनकपुरी, नई दिल्ली।
- 2-सचिव, आयुष मंत्रालय, बी०-ब्लाक, आयुष भवन, भारत सरकार, जी०पी०ओ० काम्लेक्स, आई०ए०ए० नई दिल्ली।
- 3-महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4-कुलसचिव, डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
- 5-निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।
- 6-निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन), उ०प्र० लखनऊ।